

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फेक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2024/2534
प्रति,

दिनांक

प्राचार्य/संचालक,
श्री वैष्णव इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
स्कीम नं. 71, गुमास्ता नगर,
इन्दौर (म.प्र.)

विषय:-महाविद्यालय को बी.बी.ए. पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संबंध में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 04/10/2023 तथा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 22/08/2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1	बी.बी.ए.	स्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

शर्त:-

1. ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य शासन के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. महाविद्यालय प्रतिवर्ष उपरोक्त पाठ्यक्रमों का निर्धारित सम्बद्धता/नवीनीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करें।
5. महाविद्यालय 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करे की वह नियामक संस्था (Regulatory Body), राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय के परिनियम 27 एवं 28 के मापदण्डों की पूर्ति करते हैं व भविष्य में भी इसकी पूर्ति करने का अभिवचन देते हैं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2024/2534
प्रतिलिपि :-

दिनांक 27 NOV 2024

1. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

निदेशक,

महाविद्यालय विकास परिषद्